रेरा उ.प्र.

प्रेस नोट- मई 23, 2023

उ.प्र. रेरा ने आवंटी को न्यूनतम भुगतान पर प्लॉट का कब्जा दिलाना सुनिश्चित कराया

उ.प्र. रेरा कन्सिलीएशन फोरम की मध्यस्थता से प्रयासों से **प्रोमोटर 'मेसर्स गौर संस रियलटेक प्रा. लि.' की एक परियोजना "गौर यमुना सिटी" के आवंटी "श्री अमित महाजन"** को **पीठ से पारित "आदेश का कार्यान्वन"** सुनिश्चित करवाते हुए **प्लॉट के कब्जे में विलम्ब के ब्याज का समायोजन प्रोमोटर की अंतिम मांग राशि में करवाया तथा शेष राशि माफ करवाते हुए** वर्षों से चल रहे विवाद का समझौता आपसी सहमति से करवाया।

माननीय कन्सिलीएटर **श्री आर.डी. पालीवाल** की अध्यक्षता में कन्सिलीएशन फोरम की सुनवाई में **प्रोमोटर ने तय समय से कब्जा न देने तथा आवंटी ने प्लॉट की मूल राशि का भुगतान न करने की बात स्वीकार की थी।** एग्रीमेन्ट फॉर सेल के अनुसार फोरम द्वारा आवंटी **अमित महाजन को किसान मुआवज़ा के रूप में यमुना प्राधिकरण को लगभग रुपये 1 लाख तथा प्लॉट की मूल राशि का शेष या बकाया राशि लगभग रुपये 25 लाख 24 हजार का भुगतान करने को कहा** गया।

इसके अलावा आवंटी को **प्लॉट का कब्जा मिलने में हुए विलम्ब के ब्याज के रूप में लगभग रुपये 1 लाख 50 हजार प्रोमोटर से प्राप्त होने थे। जबकि प्लॉट की लागत मूल्य के शेष राशि के भुगतान में हुए विलम्ब के कारण आवंटी पर लगभग रुपये 5 लाख का ब्याज लग गया था। फोरम में इन दोनों राशि का समायोजन कराया तथा** समायोजन के पश्चात **शेष राशि, लगभग रुपये 3 लाख 50 हजार, माफ भी करवाया जिससे आवंटी की देनदारी न्यूनतम की जा सके।**

कन्सिलीएशन फोरम की सुनवाई में आवंटी ने प्लॉट के मूल राशि का शेष भाग तत्काल जमा करने, कब्जा मिलने के 30 दिन बाद से रख-रखाव शुल्क देने और अगले एक वर्ष के अंदर प्लॉट पर निर्माण पूर्ण करने की हामी भारी। कन्सिलीएशन फोरम के प्रयासों से सन्तुष्ट **आवंटी ने रेरा की प्रशंसा की और समझौता पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया।**

आवंटी, **हिमाचल प्रदेश निवासी, अमित महाजन** द्वारा **वर्ष 2018 में रुपये 43 लाख 40 हजार की लागत वाले प्लॉट के लिए लगभग रुपये 24 लाख का भुगतान किया जा चुका था। एग्रीमेन्ट फॉर सेल के अनुसार कब्जा वर्ष 2019 तक प्राप्त** होना था जो नहीं हो पाया था। वर्ष 2021 में आवंटी में उ.प्र. रेरा में शिकायत **(NCR144/02/70225/2021)** की सुनवाई में आवंटी ने पीठ से पारित आदेश, विलंबित अवधि के ब्याज सहित इकाई का अविलम्ब कब्जा देने, के **कार्यान्वन सुनिश्चित कराने की मांग रखी** थी।

उ.प्र. रेरा कन्सिलीएशन फोरम में अब तक **लगभग 1125 से ज्यादा मामलों में लगभग रुपये 485 करोड़ की परिसंपत्तियों** से जुड़े विवादों का पूर्णतः समाधान कराया गया है जिनमे ज्यादातर लेखा/ गणना संबंधी, कब्जा न मिलने, कब्जे में विलम्ब अवधि के ब्याज, पार्किंग स्थल का निर्धारण, मीटर शुल्क, आदि से सम्बन्धित होते है। उ.प्र. रेरा आवंटियों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध हैं और शिकायतों की निरन्तर सुनवाई कर रहा है। आवंटी एवं प्रोमोटर के बीच विवादों को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए उ.प्र. रेरा के कन्सिलीएशन फोरम की स्थापना की गई है।